संख्या:-47/2024/आई526578/001-216आ0/23-5002-002-30-2024
(कम्प्यूटर सं0-1802562)

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक : 21 मार्च, 2024**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-55 के पूंजीलेखा मद के अन्तर्गत जनपद हमीरपुर, लखनऊ व मेरठ के 05 कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0-7983/CE-BLD/BUILD(REN)/BAN/2023-24, दिनांक 11.03.2024, 8084/CE-BLD/PULDHOUS/LKO/2023-24, दिनांक 16.03.2024, 8004/CE-BLD/BUILD(NEW)/LKO/2023-24, दिनांक 12.03.2024 एवं 7993/CE-BLD/PULDHOUS/MRT/2023-24, दिनांक 11.03.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-55 के पूंजीलेखा मद के अन्तर्गत जनपद हमीरपुर, लखनऊ व मेरठ के 05 कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष देय धनराशि में से **रू0 37.29 लाख(रूपये सैंतीस लाख उनतिश हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नवत तालिका व शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजना वार स्वीकृत धनराशि	अनुबन्ध आधारित बचत की धनराशि	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटित धनराशि	गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में समर्पित धनराशि	समर्पण के समायोजन के उपरान्त अद्यतन अवशेष (6-7+8)	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						(धनराशि लाख रू0 में)			
1	48/2023/001-63आ0/23-5-23-09(भवन)/2023 दिनांक 13.03.2023	हमीरपुर में प्रयोगशाला के विस्तार का कार्य।	21.83	0.02	21.81	10.00	05.24	17.05	05.00
2	19/2019/16आ0/23-5-19-50(14) ईजी /2016, दिनांक 08.03.2019 एवं 08/2020/02आ0/23-5-20-50(14) ईजी/2016, दिनांक 07.02.2020 एवं 58/2020/214आ0/23-5-20-50 (83)ईजी/2014टीसी ,दि0 23.09.2020 एवं 20/2021/358आ0	प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लो0नि0वि0 परिसर स्थित भवनों फायर फाइटिंग सिस्टम की स्थापना का कार्य।	484.89	53.00	431.89	374.53	00.00	57.36	16.29

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

	/23-5-20-50(14) ईजी/2016, दिनांक 29.01.2021 एवं 82/2021/208आ0 /23-5-21-50(14) ईजी/2016, दिनांक 03.08.2021 एवं 31/2022/51आ0/ 001-23-5-22-50 (14)ईजी/2016, दिनांक 22.07.2022 एवं 84/2023/001-163आ0/23-5-23-50(14)ईजी/2016, दि0 30.03.2023 एवं 154/2023/आई37 6517/001-290आ0/23-5002-002-29-2023-02(भवन)/2020टी सी दिनांक 28.08.2023								
3	33/2020/87आ0 /23-5-20-2(भवन)/2020टी सी, दिनांक 31.03.2020 एवं 81/2021/194आ0 /23-5-21-02(भवन)/2020 दिनांक 26.07.2021	लोक निर्माण विभाग परिसर में "विश्वेश्वरैया द्वार" बाउण्ड्रीवाल के निर्माण एवं अन्य विविध सिविल कार्य।	108.96	0.00	108.96	103.96	00.00	05.00	02.00
4	32/2020/27आ0/ 23-5-20-2 (भवन)/2020, दि0 31.03.2020 एवं 81/2021/194आ0/ 23-5-21-02 (भवन)/2020, दि0 26.07.2021 एवं 06/2022/28आ0/ 23-5-22-02 (भवन)/2020, दि0 02.02.2022 एवं 12/2022/39आ0/ 23-5-22-02 (भवन)/2020, दि0 30.03.2022 एवं 31/2022/51आ0/ 23-5-22-50 (14)ईजी/2016, दि0 22.07.2022	प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लो0नि0वि0 लखनऊ में मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कार्य।	1893.97	0.04	1893.93	1509.97	00.00	383.96	10.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

	एवं 11/2023/09आ0/ 23-5-23-02 (भवन)/2020टीसी, दि0 20.01.2023 एवं 102/2023/001-185आ0/23-5-23-02(भवन)/2020टीसी,दि024.05.2023 एवं 154/2023/आई376517/001-290आ0/23-5002-002-29-2023-02(भवन)/2020टीसी दिनांक 28.08.2023								
5	17/2020/22आ0 /23-5-20-50(41) ईजी/2015टीसी, दिनांक 02.03.2020 एवं 20/2021/358आ0/23-5-20-50 (14)ईजी/2016, दिनांक 29.01.2021 एवं 103/2021/246 आ0/23-5-21-02 (भवन)/2020टीसी, दि0 22.09.2021 एवं 101/2022/001-225आ0/23-5-22-02(भवन)/2020 टीसी दिनांक 29.12.2022	मेरठ में विधानसभा किठौर स्थित निरीक्षण भवन के जीर्णोद्धार के कार्य।	20.93	00.45	20.48	20.48	08.03	08.03	04.00
			योग :-					471.40	37.29

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों -

(1) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

....04..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दि0 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 37,29,000(**रूपये सैंतीस लाख उनतिश हजार मात्र**) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-55 लेखाशीर्षक 4059600510400 अनावासीय भवनों का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण के चालू कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

संख्या:-47/2024/आई526578/001-216आ0(1)/23-5-2024तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी, हमीरपुर, लखनऊ व मेरठ।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हमीरपुर, लखनऊ व मेरठ।
11- मुख्य अभियन्ता(भवन)/(वि0/यॉ0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
12- मुख्य अभियन्ता, चित्रकूट धाम(बांदा) क्षेत्र एवं मेरठ क्षेत्र, लो0नि0वि0।
13- अधीक्षण अभियन्ता, हमीरपुर वृत्त, लो0नि0वि0, हमीरपुर।
14- अधीक्षण अभियन्ता, 30वॉं वृत्त(वि0/यॉ0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
15- अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ वृत्त, लो0नि0वि0, मेरठ।
16- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हमीरपुर।
17- अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई यांत्रिक खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ।
18- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मेरठ।
19- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
अभय प्रताप श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in